तिथिबद्ध / अतिआवश्यक
ई–मेल के माध्यम से

प्रेषक

जिला कल्याण अधिकारी,
सिरसा।

सेवा में

प्रधानाचार्य,
सभी सम्बन्धित शिक्षण संस्थान,

क्रमांक 2618-2709 दिनांक 15-6-16

विषय :– **सभी शैक्षणिक संस्थाओं तथा छात्र जिन्होनें वित्त वर्ष 2015–16 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन किया है के ध्यानार्थ।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

2. हरियाणा सरकार द्वारा सभी लीडिंग समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध किया जाता है कि आप अपनी संस्था से सम्बन्धित छात्रों के अधूरे आवेदन पत्र पूर्ण करके सम्बन्धित कलस्टर पर फारवर्ड करना सुनिश्चित करें ताकि दिनांक 30.06.2016 तक सभी योग्य आवेदन पत्रों की स्वीकृति करके आधार के माध्यम से पेमेन्ट सुनिश्चित की जा सके। दिनांक 01.07.2016 को सभी अधूरे आवेदन पत्रों को बिना किसी अन्य नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा।

जिला कल्याण अधिकारी,
सिरसा।

हरियाणा सरकार

अनुसुचित जातियां एवं पिछड़े गर्व कल्याण विभाग, हरियाणा

सभी शैक्षणिक संस्थाओं तथा छात्र जिन्होंने वित्त वर्ष 2015-16 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति स्कीम के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन किया है के ध्यानार्थ

केन्द्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित पोस्ट मैट्रिक कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों जिनके माता/पिता या अभिभावकों की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु 2.50 लाख रुपये तथा अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों हेतु 1.00 लाख रुपये से अधिक न हो को छात्रवृति प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2015-16 से यह स्कीम ऑनलाईन परिपालित की जा रही है। जिन छात्रों द्वारा इस स्कीम के पोर्टल haryanawelfareschemes.org पर On-line रजिस्ट्रेशन की गई थी उनमें से बहुत से छात्र ऐसे है जिनके आवेदन पत्र में त्रुटियां है जो छात्रों द्वारा ठीक की जानी है या छात्रों द्वारा अधुरे भरे गए है। अतः सभी छात्र जिन्होंने इस स्कीम के तहत छात्रवृति के लिए On-line आवेदन किया है, अपने आवेदन पत्रों का स्टेटस चैक करें और यदि उसमें कोई त्रुटि है या एतराज लगाया गया है या आवेदन पत्र अधूरा है तो उसे पूर्ण करके दिनांक 30.6.2016 से पूर्व अपने संस्थान को फारवर्ड करे तथा सम्बन्धित संस्थान इन आवेदन पत्रों को 30.6.2016 तक सम्बन्धित कलस्टर को फारवर्ड करना सुनिश्चित करें। दिनांक 01.07.2016 को सभी अधूरे आवेदन पत्रों को बिना किसी नोटिस के रद्द कर दिया जाएगा।

निदेशक
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़
दूरभाष नं. 0172-2707009, 2704282
ईमेल : scbeharyana@gmail.com

38148